



न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

चाव संख्या 128/2020

धारा 107 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही/नोटिस

डालेश्वर गोप

बनाम

नीलकंठ साव वगै.

09-10-20
16-10-20
06-11-20
27-11-20
11-12-20

CLOSED

स्थानीय पुलिस थाना: निमिर्योघाट रो प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया है, के अवलोकन से प्रतीत होता है कि

उभय पक्षों के बीच जमीन अतिक्रमण को लेकर झगड़ा-झंझट, गाली-गलौज होते रहता है, जिससे काफी तनाव है जिसके कारण उभय पक्ष के बीच शान्ति-व्यवस्था भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं फलस्वरूप उस क्षेत्र में शांति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शान्ति बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष/विपक्षी सदस्यों के विरुद्ध धारा 107 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा इनसे दिनांक 09/10/2020 को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं उन्हें आदेश की तिथि से एक साल लिए शान्ति बनाए रखने हेतु 5000/- रुपये के दो-दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध-पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

प्रथम पक्ष -

1 डालेश्वर गोप

उम्र : 45 वर्ष

पिता : खेदन यादव उर्फ मूरत यादव

साकिन: केन्दुवाडीह, थाना: निमिर्योघाट, जिला: गिरिडीह।

- बनाम -

द्वितीय पक्ष -

1 नीलकंठ साव

उम्र : 50 वर्ष

पिता : स्व. दुलारचन्द साव, सा० बालुटूण्डा।

2 दिनेश महतो

उम्र : 38 वर्ष

पिता : बालदेव यादव, सा० योगीडीह।

दोनों थाना: निमिर्योघाट, जिला: गिरिडीह।

लेखापित

अनुमंडल दण्डाधिकारी
डुमरी।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
डुमरी।

09-10-20

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित।
नोटिस तामिला अप्राप्त। अभिलेख दि० 16-10-20
को उपस्थापित करें।

अनु० 40510
डुमरी

16-10-20

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अक्रान्त उपस्थित।
द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दि० 06-11-20 को
उपस्थापित करें।



अनु० 40510
डुमरी

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 128/2020-21

डालेश्वर गोप -बनाम- नीलकंठ साव चगै.

(द.प्र.सं. की धारा 107)

1 का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्य एवं तिथि
1	2	3
24-03-21	<p>अभिलेख उपस्थापित। निमियोघाट थाना अप्राथमिकी संख्या 17/2020 दिनांक 10.05.2020 द्वारा केवल द्वितीय पक्ष के सदस्यों को द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत प्रतिबंधित करने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस वाद को पंजीकृत करते हुए द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर उभय पक्ष के सदस्यों के नाम से नोटिस निर्गत किया गया। तामिला प्राप्त।</p> <p>निर्गत नोटिस के आलोक में द्वितीय पक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए।</p> <p>निमियोघाट थाना से वर्तमान तिथि तक उभय पक्षों के बीच परिशांति भंग होने से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है। जिससे यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों के बीच वर्तमान समय में शांति व्यवस्था कायम है।</p> <p>अतः द्वितीय पक्ष के सदस्यों को अगले एक साल के लिए शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु मो. 5000/-रु. के दो-दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध पत्र दाखिल करने के आदेश दिया जाता है। आज प्रस्तुत वाद में कार्यवाही अवधि की अंतिम तिथि है अतएव कालअवधि बाधित होने के कारण प्रस्तुत वाद की कार्यवाही बन्द की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> 24.03.2021 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी।</p> <p> 24.03.2021 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी।</p>	